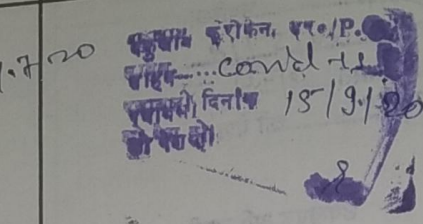

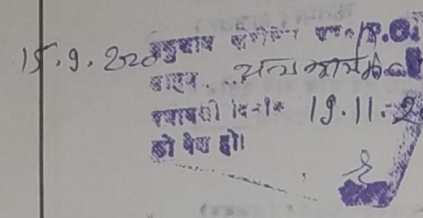

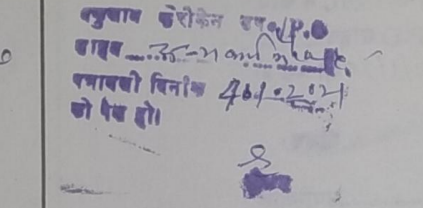

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14.7.20	[illegible] कैरोकेन P.O. बाबत ....Covid-19 कार्यवाही दिनांक 15/9/20 को पेश हो।
15.9.2020	[illegible] P.O. बाबत ...अन्य कार्य... कार्यवाही दिनांक 19.11.2020 को पेश हो।
19/11/20	[illegible] कैरोकेन P.O. बाबत ...अन्य कार्य... कार्यवाही दिनांक 4.1.2021 को पेश हो।
4/1/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील सायल ने लिखित बहस पेश की पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.1.21 को पेश हो।
12/1/21	पत्रावली आज पेश हुई। प्रा० पत्र सायल स्वीकार किया जाकर और सायलान की विवादित आराजी ख०नं० 72, 72/1085 वाके ग्राम रूपोडा [illegible] तह० [illegible] की भूमि की किस्म परिवर्तन करने व सायल को कब्जे काश्त में [illegible]) महसूल [illegible] सौदा न करने हेतु रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पत्रावली किया। पत्रावली शामिल दफ्तर होकर नकल [illegible] के साथ संलग्न रहे। सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/53/2018

वउनवान

1. दुर्गासिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना तहसील कठूमर

_____ सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर वहैसियत प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
2. तहसीलदार कठूमर वहैसियत प्रतिनिधि राजस्थान राज्य एंव लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर

_____ गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री देवेन्द्रसिह नरूका : वकील सायल

पैरोकार सरकार –– सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 12.01.2021

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 72 रकवा 0.54 हे. 72/1085 रकवा 0.47 हे. 129 रकवा 1.08 हे. ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में स्थित है। जो सविक खसरा नम्बर 43 रकवा 4 वीघा 4 विस्वा 67 रकवा 4 वीघा 4 विस्वा ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर से बनाये गये है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के पिता भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना तहसील कठूमर के तन्हा कब्जे काश्त खुद काश्त की आराजी थी। जिस विवादित आराजी पर सायल के पिता जव तक जीवित रहे काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर सायल काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वो राजस्थान जमीदारी विश्वेदारी अवोलेशन एक्ट 1959 के लागू होने से पूर्व से ही सायल के पिता तन्हा काविज रहकर खुद काश्त करते चले आ रहे थे तथा इन आराजीयात पर बन्दोवस्त संवत् 2014 में होने से पहले भी सायल के पिता जागीरदारी की हैसियत से काविज रहकर खुद काश्त करते चले आ रहे थे यानि उक्त आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वजुहात के साथ पेश किया जा रहा है जिसमें सायल को कामयावी की

ा थे ग्राम डयोठाना का बन्दोवस्त संवत् 2014 में हुआ था। बन्दोवस्त विभाग के कारियों एंव कर्मचारियों ने विना मौके व कब्जे की जांच किये विना किसी सक्षम ालय के आदेश के खिलाफ कानून व खिलाफ मौका मनमर्जी से उक्त आराजी खसरा बर 72–129 को भजना की खातेदारी में दर्ज कर दिया। जवकि अमला सैटलमेंण्ट को सा करने का कोई अधिकार व हक किसी किस्म का नहीं था। अमला सैटलमेंण्ट को तो पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट कर सायल के पिता की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। जव सायल के पिता को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो सायल के पिता ने एक राजस्व वाद आराजी खसरा नम्बर 72, 129, 136 वाके ग्राम डयोठाना की खातेदारी की खातेदारी की घोशणा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने वावत पेश किया। जो दावा दिनांक 28.02.1986 को डिकी किया गया। लेकिन सहवन से खसरा नम्बर 136 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने के साथ साथ खसरा नम्बर 72 कर भी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया। अदालत को सायल के पिता का दावा सावित होने पर खसरा नम्बर 72–129 सालिम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिए था। उक्त भूल सहवन से हुई तथा निर्णय व डिकी की पालना में सायल के पिता को कागजात माल में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया उस समय सायल के पिता व वकील साहव ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। पटवारी हल्का के पास जाने पर पता चला कि अदालत श्रीमान द्वारा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था जवकि सायल के पिता ने सालिम आराजी का अनुतोश चाहा था। जव सायल ने गैरसायलान व उनके मातहत कर्मचारियान से सम्पर्क कर इन्द्राज दुरूस्त करने के लिये कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर दिया। उक्त आराजी सायल की पैत्रिक आराजी होने के कारण विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजी पर सायल मौके पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि विवादित आराजी के खातेदार भजना का कोई वारिस नहीं है अव हम इस आराजी को सरकारी भूमि घोशित कर इसे दीगर लोगों को आवण्टन करेगें तुझे विवादित आराजी पर भांति पूर्वक का त नहीं करने देगें तुझे वेदखल करेगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा काफी नुकशान होगा। अतः सायल ने आराजी खसरा नम्बर 72–129, 72/1085 पूर्ण वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने मृतक भजना के हिस्सा की आराजी को सरकारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कर दीगर लोगों को आवण्टन नहीं करने हेतु वावत पाबन्द कराने का निवेदन किया

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव ्या गया।

गैरसायलान की ओर से पैरोकार तहसील कठूमर ने हाजिर होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 72–129 वाके ग्राम डयोठाना मुताविक हाल जमाबन्दी भजना पुत्र कालू जाटव 1/2 हिस्सा दुर्गासिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 72/1085 रकवा 0.47 हे. भजना पुत्र कालू जाटव सा. डयोठाना की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विवादित आराजी अनु0जाति की खातेदारी होने के कारण प्रार्थी भजना पुत्र कालू के हिस्से तक अनुतोश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 वाके ग्राम डयोठाना किता 2 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी लिखित वहस पेश की है जो भामिल पत्रावली है। पैरोकार ने अपनी वहस में अपने जवाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी लिखित वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया व प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक पाबन्द करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल व विद्वान पैरोकार सरकार की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी खसरा नम्बर 136 दुर्गासिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत 1/2 सावतसिंह, बनवारीसिंह, विजयसिह, मोहनसिंह पि0 बद्री, दुर्गा पत्नी स्व0 बदरी हिस्सा 1/2 कौम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

ागा व खसरा नम्बर 72–129 भजना पुत्र कालू 1/2 कौम जाटव दुर्गासिंह पुत्र वरसिंह 1/2 राजपूत सा0 देह व खसरा नम्बर 72/1085 भजना पुत्र कल्लू जाटव सा0 देह दर्ज है। सायल का मुख्य कथन है कि सायल के पिता ने आराजी खसरा नम्बर 72, 129, 136 वाके ग्राम डयोठाना सालिम से भजना की खातेदारी कलमजन कर सालिम आराजी अपने नाम खातेदारी में घोषित करने का पेश किया जिस मुकदमा का निर्णय लिखाते समय अदालत ने उक्त आराजी सालिम रकवा की खातेदारी घोषित करने के स्थान पर खसरा नम्बर 72–129 के 1/2 हिस्सा की खातेदार घोषित किये जाने का लिखा दिया। जिस कारण उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा भजना की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। जो तथ्य मूल वाद के निस्तारण के समय वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जावेगें। लेकिन इस दौरान प्रतिवादीगण विवादित आराजी को किसी दीगर लोगों को आवण्टन कर सकते है। जिससे अपार हानि व क्षति सायल को होना संभव है। इस वजह से दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी का स्वरूप बनाये रखा जाना जरूरी है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा नम्बर 72, 72/1085 वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर की भूमि की किस्म परिवर्तन न करने व सायल के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने हेतु रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

12.1.21.

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 12.01.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

12.1.21.